भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4101
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- भूधारिता के आधार पर किसानों का वर्गीकरण

4101. श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने किसानों को उनकी कृषि भूमि के आधार पर सीमांत, लघु, मध्यम और बड़े किसानों के रूप में विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है;
(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में किसानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ग) क्या किसान सम्मान पेंशन योजना सभी वर्ग के किसानों पर लागू है;
(घ) क्या किसानों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजना किसानों के विभिन्न वर्गों के लिए है या सभी सरकारी योजनाओं को सभी किसानों के लिए समान रूप से लागू किया गया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): कृषि संगणना वर्ष 2015-16 के अनुसार, *ऑपरेशनल होल्डिंग्स (परिचालन जोत) को भूमि जोतों के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

श्रेणी	आकार-वर्ग
सीमांत	1.00 हेक्टेयर से कम
लघु	1.00 – 2.00 हेक्टेयर
अर्ध-मध्यम	2.00 – 4.00 हेक्टेयर
मध्यम	4.00 – 10.00 हेक्टेयर
बड़ा	10.00 हेक्टेयर और उससे अधिक

**ऑपरेशनल होल्डिंग को समस्त भूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उपयोग पूर्णतः या आंशिक रूप से कृषि उत्पादन के लिए किया जाता है और जिसका संचालन स्वामित्व, कानूनी रूप, आकार या स्थान की परवाह किए बिना एक व्यक्ति द्वारा अकेले या अन्य लोगों के साथ मिलकर एक तकनीकी इकाई के रूप में किया जाता है।*

कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार सीमांत, लघु, अर्ध-मध्यम, मध्यम और बड़ी ऑपरेशनल होल्डिंग्स की संख्या का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ग): प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-के.एम.वाई.) के तहत, 18-40 वर्ष की आयु के सभी भूमि-धारक लघु और सीमांत किसान पात्र हैं जिन्हें बहिष्करण मानदंडों के अधीन 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम 3000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना का चुनाव करने वाले किसानों की आयु के आधार पर मासिक अंशदान की राशि 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह के बीच निर्धारित है। भारत सरकार भी किसानों के पेंशन खाते में समान अंशदान प्रदान करती है।

पीएम-किसान सम्मान निधि योजना, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे फरवरी, 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) मोड के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं।

(घ) और (ङ): सरकार ने देश में किसानों की सहायता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-के.एम.वाई.), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.), ब्याज छूट योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.), मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एस.एच.सी.), किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के किसानों को सहायता प्रदान की जाती है।

किसानों के कल्याण के लिए सरकारी योजनाओं के पात्रता मानदंड भिन्न-भिन्न होते हैं और सभी योजनाएं उनके अनुमोदित परिचालन दिशा-निर्देशों (ऑपरेशनल गाइडलाइन्स) के अनुसार सभी किसानों के लिए समान रूप से कार्यान्वित की जाती हैं।

लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4101 के भाग (क) और (ख) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

अनुबंध

कृषि गणना 2015-16 के अनुसार ऑपरेशनल होल्डर्स की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित संख्या							
							(संख्या '000 में)
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**सीमांत**	**लघु**	**अर्ध-मध्यम**	**मध्यम**	**बड़ा**	**सभी आकार समूह**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5	3	3	1	नगण्य	12
2	आंध्र प्रदेश	5,904	1,646	770	189	15	8,524
3	अरुणाचल प्रदेश	27	24	29	26	7	113
4	असम	1,868	495	295	79	4	2,742
5	बिहार	14,971	944	414	81	3	16,413
6	चंडीगढ़	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	1
7	छत्तीसगढ़	2,434	879	493	181	23	4,011
8	दादर एवं नगर हवेली	9	4	2	1	नगण्य	15
9	दमन और दीव	7	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	8
10	दिल्ली	11	5	3	1	नगण्य	21
11	गोवा	59	8	4	2	1	75
12	गुजरात	2,019	1,616	1,150	496	40	5,321
13	हरियाणा	802	314	278	192	41	1,628
14	हिमाचल प्रदेश	712	173	82	26	3	997
15	जम्मू और कश्मीर	1,187	160	58	11	1	1,417
16	झारखंड	1,962	419	277	126	20	2,803
17	कर्नाटक	4,767	2,214	1,193	451	56	8,681
18	केरल	7,333	181	56	11	2	7,583
19	लक्षद्वीप	10	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	10
20	मध्य प्रदेश	4,835	2,725	1,674	707	63	10,003
21	महाराष्ट्र	7,816	4,339	2,327	734	70	15,285
22	मणिपुर	77	49	22	3	नगण्य	150
23	मेघालय	123	60	40	9	नगण्य	232
24	मिजोरम	45	27	14	3	नगण्य	90
25	नागालैंड	8	30	63	74	21	197
26	ओडिशा	3,637	887	287	51	4	4,866
27	पुदुचेरी	28	3	2	नगण्य	नगण्य	34
28	पंजाब	154	207	368	305	58	1,093

कृषि गणना 2015-16 के अनुसार ऑपरेशनल होल्डर्स की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित संख्या							
							(संख्या '000 में)
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**सीमांत**	**लघु**	**अर्ध-मध्यम**	**मध्यम**	**बड़ा**	**सभी आकार समूह**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29	राजस्थान	3,071	1,677	1,416	1,131	359	7,655
30	सिक्किम	44	13	11	4	नगण्य	72
31	तमिलनाडु	6,224	1,119	452	128	15	7,938
32	तेलंगाना	3,840	1,409	564	126	9	5,948
33	त्रिपुरा	504	48	19	2	नगण्य	573
34	उत्तर प्रदेश	19,100	3,008	1,314	377	23	23,822
35	उत्तराखंड	659	149	58	14	1	881
36	पश्चिम बंगाल	5,998	971	256	18	1	7,243
	अखिल भारत	**1,00,251**	**25,809**	**13,993**	**5,561**	**838**	**1,46,454**
नोट - नगण्य का अर्थ है ऑपरेशनल होल्डिंग्स की संख्या 500 से कम *स्रोत: कृषि गणना 2015-16*							

*****